<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4763

23 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

सेल द्वारा संविदाएं प्रदान करने में अनियमितताएं

4763. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय द्वारा कोकिंग कोल की खरीद हेतु संविदाएं प्रदान करने में अनियमितताओं हेतु सेल के किसी कर्मी के विरुद्ध विगत दो वर्षों के दौरान कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संविदाओं का मौद्रिक मूल्य कितना है;

(ग) जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या आयातित कोयले की गुणवत्ता और कोयले की बढ़ती लागत के मुद्दों पर विगत पांच वर्षों के दौरान कोई संपरीक्षा टिप्पणी भी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): जी हाँ। गत दो वर्षों के दौरान कोकिंग कोयला के आयात के संबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अधिकारियों के खिलाफ मुख्य सतकर्ता अधिकारी, सेल द्वारा चार शिकायतों की जांच की गई है।

(ख) और (ग): जैसा कि सेल ने सूचित किया है, सेल के किसी भी अधिकारी के खिलाफ संविदाएं प्रदान करने में अनियमितताओं का कोई भी आरोप सही साबित नहीं हुआ है, अतः उक्त संविदाओं के मौद्रिक मूल्य का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ): जी हाँ। पीडीसीए, राँची ने सेल द्वारा कोयले के आयात पर अपने विषयपरक अध्ययन पैरा में गुणवत्ता संबंधी मामलों पर लेखा संबंधी कुछ अभ्युक्तियाँ की थीं, जिसे 13.12.2016 को सेल प्रबंधन को जारी किया गया था। तत्पश्चात मामले को "कोयले के आयात, शिपिंग और परिवहन" के मुद्दे के संबंध में वर्ष 2018 की उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 11 में (लेखा परीक्षा पैरा सं. 12.1 के रूप में) शामिल किया गया था।

****